## विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार (Type of Family based on marriage) —

विवाह के आधार पर भारत में सभी परिवारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

### (1) एकविवाही परिवार (Monogamous Family) —

जब पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा एकविवाह करके परिवार का निर्माण किया जाता है तब ऐसे परिवार को हम एकविवाही परिवार कहते हैं। इन परिवारों में कोई भी व्यक्ति एक जीवन साथी के होते हुए दूसरे से विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता। आज सभी हिन्दू, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख परिवार इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। भारत में जैसे-जैसे विभिन्न जनजातियाँ सभ्यता के सम्पर्क में आती जा रही हैं, उनमें भी एकविवाही परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है।

### (2) बहुपति-विवाही परिवार (Polyandrous Family) —

भारत में परिवारों का एक अनोखा रूप बहुपति-विवाही परिवारों के रूप में देखने को मिलता है। इसका निर्माण एक स्त्री के द्वारा एक साथ अनेक पुरुषों से विवाह करने से होता है। भारत में खस, कोटा, टोडा, नायर, टियान, कुसुम्बा और कम्मला आदि जनजातियों में आज भी ऐसे परिवारों का आंशिक रूप से प्रचलन पाया जाता है। इसके पश्चात भी विभिन्न मानव समूहों में बहुपति-विवाह के द्वारा परिवार की स्थापना करने का प्रचलन निरन्तर कम होता जा रहा है।

(3) बहुपत्नी-विवाही परिवार (Polygynous Family) —

जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रीयों से विवाह करके परिवार की स्थापना करता है तब ऐसे परिवार को बहुपत्नी-विवाही परिवार कहा जाता है। भारत में ऐसे परिवारों का प्रचलन बहुत लम्बे समय से रहा है लेकिन सन् 1955 के बाद प्रत्येक हिन्दू, सिक्ख, जैन और बौद्ध के लिए बहुपत्नी-विवाह पर कानूनी नियन्त्रण लगा दिया गया है। मुसलमानों में आज भी बहुपत्नी-विवाही परिवार प्रचुरता से पाये जाते हैं। भारत की बहुत-सी जनजातियाँ भी अभी बहुपत्नी-विवाही हैं। इनमें नागा, बैगा, लुशाई तथा खस जातियाँ प्रमुख हैं।